महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 402/1–2–2017–1(सामान्य)/2017

क्र-5

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– आयुक्त एंव सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 01 मई ~~अप्रैल~~, 2017

विषयः– एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में सरकारी/ निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती है। इन प्रकरणों में समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण जहां जनमानस में शासन/ प्रशासन के प्रति विश्वास में कमी आती है, वही भू–माफियाओं द्वारा कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पूर्व में विभिन्न विभागों तथा इनकी अधिकारिता में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय, प्राधिकरण/निगम/ उपक्रम तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से प्रसारित किये गये है , जिनका विवरण संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त स्थायी निर्देशों के बावजूद भी यह अनुभव किया गया है कि कतिपय प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों, विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा कहीं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर, कहीं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से न केवल शासकीय भूमियों, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों, चैरेटेबिल ट्रस्टों,लावारिस सम्पत्तियों, गरीब निर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों की निजी भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा तो फ़िर भी अपनी सम्पत्ति संरक्षित करने के लिए कार्यवाही कर ली जाती है परन्तु अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति को संरक्षित करने में अपने आप को असहाय महसूस किया जाता है तथा ऐसे दबंग व्यक्तियों का विरोध करने का साहस वे नहीं जुटा पाते हैं। प्रशासन स्तर से भी अपेक्षित

सहयोग/संरक्षण पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः कब्जा की गयी संपत्तियों को चिन्हित कर भू—माफियाओं के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरी क्षमता के साथ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वह हतोत्साहित हों तथा आम आदमी अपनी सम्पत्ति को संरक्षित रखने में असहाय महसूस न करें।

2— उक्त स्थिति में यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम ऐसी सभी शासकीय सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाय, जिन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे दबंग व्यक्तियों को चिन्हित कर जनपद स्तर पर सूची तैयार किया जाना आवश्यक है जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियों पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की है, जिससे उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।शासकीय सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का दायित्व संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के जनपद स्तरीय अधिकारियों का होगा जो आगामी 02 माह के भीतर अपने विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों की सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमणों, अतिक्रमणकारियों, अतिक्रमण हटाने के लिए किये गये प्रयासों एवं आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करेंगे तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जहां तक लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों का संबंध है ऐसे मामलों में सामान्यतः शिकायतें थाना स्तर पर प्राप्त होती हैं। अतः इस प्रकार के दबंग व्यक्तियों को चिन्हित करने का कार्य मुख्य रूप से पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तद्नुसार ऐसे दबंग/प्रभावशाली व्यक्तियों को चिन्हित कराएंगे जो पेशेवर रूप से स्वयं अथवा गिरोहबन्द होकर शासकीय/निजी सम्पत्तियों पर कब्जा करने/कराने की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। शासन की प्राथमिकता को देखते हुए शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर अवैध कब्जे की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए पृथक वेब पोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जायेगा जिस पर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। पोर्टल विकसित होने तक ये शिकायतें वर्तमान आई.जी.आर.एस. पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर प्राप्त की जाएगी तथा तहसील दिवस जनपद एवं अन्य स्तरों पर सीधे भी दी जा सकेंगी जिन्हें पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाएगा।

3— अवैध कब्जे/अतिक्रमण चिन्हित करने के उपरान्त संबंधित विभाग द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध ढग से की जाएगी तथा विधिक आदेश प्राप्त कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी। जहां शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पायी जाए वहां उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी शासकीय भूमि आदि पर किसी

न्यायालय के आदेश के द्वारा किसी प्रकार के आदेश/स्थगनादेश की शरण लेकर अवैध कब्जा बनाए रखा गया है तो प्रश्नगत वाद को निस्तारित कराने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।

4— गैर शासकीय सम्पत्तियों के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त होंगी उनकी जॉच की कार्यवाही तहसील/थाना स्तर से सुनिश्चित कराते हुए विधि अनुसार की जाए तथा उनका निस्तारण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, अवैध कब्जों के संबंध में प्राप्त शिकायतों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर शासकीय/निजी भूमियों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे कराये दोषियों अतिक्रमणकारियों, दबंगों, गिरोहबंद असामाजिक प्रकृति के व्यक्तियों को भू—माफिया के रूप में चिन्हित कर सूचीबद्ध करें और उनके विरूद्ध दाखिल विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन अपराधिक मामलों में त्वरित विवेचना कराते हुए अपराधिक वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायें। चिन्हित भू—माफियाओं पर प्रशासन के विभिन्न अंगों द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें किसी प्रकार का प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त न हो। पीड़ित व्यक्तियों/संस्थाओं को विधि के अनुरूप सभी प्रकार की सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया जाये तथा उनके साथ ऐसा आचरण किया जाये कि उन्हें यह महसूस हो कि शासन एवं प्रशासन उनके साथ है। किसी शासकीय/निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया जाये। यदि जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह पाया जाता है कि कतिपय प्रकरणों में थाना/तहसील स्तर पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप अवैध कब्जा हो गया तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5— सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर धार्मिक स्थल के निर्माण के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं.—(एस)8519/2006 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2009 के कम में गृह (पुलिस) अनुभाग—9 के शासनादेश संख्या—एस.सी.—03/छः—पु—9—09—31(15टी.)/2009 दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 तथा दिनांक 3.4.2010 द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। अतः सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थल का निर्माण कर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए इन निर्देशों पर भी प्रभावी कार्यवाही की जाए।

6— शासन की उक्त मंशा को कियान्वित करने के लिए 04 स्तरों क्रमशः राज्य, मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर पर एण्टी भू—माफिया टास्क फोर्स का गठन का निर्णय किया गया है। जिनकी संरचना, कार्य एवं दायित्व निम्नवत है :—

(क) <u>राज्य स्तरीय टास्क फोर्स</u> —

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी	सदस्य
प्रमुख सचिव गृह	सदस्य
प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
प्रमुख सचिव, वन	सदस्य
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
प्रमुख सचिव लोक निर्माण	सदस्य
प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
पुलिस महानिदेशक	सदस्य
प्रमुख सचिव राजस्व	सदस्य संयोजक
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद	सदस्य
राज्य सरकार के अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के सचिव/प्रमुख सचिव	विशेष आमंत्री सदस्य

<u>राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व</u>—

(1) जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा भू—माफियाओं के चिन्हीकरण, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे से संबंधित प्राप्त शिकायतों के संबंध में अतिक्रमण/ अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जनपदवार मण्डलीय टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक 2 माह में एक बार की जाएगी।

(2) समीक्षा में जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका है उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर बिन्दुवार आवश्यक निर्देश प्रसारित करेगी।

(3) संवेदनशील एवं जटिल प्रकरणों, जिनका निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है और जिन्हें राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की दृष्टि में उच्च स्तर पर संज्ञान में लाया जाना अपरिहार्य है, के संबंध में समुचित संस्तुति मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(4) अवैध कब्जों से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण हेतु संबंधित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

(ख) मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स—

मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उप महानिरीक्षक	सदस्य
मण्डल के समस्त जिलाधिकारी	सदस्य
मण्डल के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	सदस्य
मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
मण्डल से सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष	सदस्य
नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य
उप निदेशक,पंचायतीराज	सदस्य
अपर आयुक्त प्रशासन	सदस्य संयोजक
मण्डल के अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के मण्डल स्तरीय अधिकारी	विशेष आमंत्री सदस्य

मण्डलीय टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व—

(1) जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के संबंध में कब्जा हटाने के संबंध में कृत कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेगी।

(2) समीक्षा में जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका है उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर बिन्दुवार आवश्यक निर्देश जिला स्तरीय टास्क फोर्स को प्रसारित करेगी।

(3) संवेदनशील एवं जटिल प्रकरणों जिनका निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है एवं जिन्हें मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स आवश्यक समझे कि उन्हें उच्च स्तर पर संज्ञान में लाया जाना अपरिहार्य है, के संबंध में समुचित संस्तुति राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी।

(4) अवैध कब्जों से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण हेतु संबंधित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

(ग) **जिला स्तरीय टास्क फोर्स—**

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
जनपद में यदि कोई विकास प्राधिकरण या अन्य अथॉरिटी है तो उसके उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (यथास्थिति)	सदस्य

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वित्त एवं राजस्व)	सदस्य संयोजक
जनपद के अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के जनपद स्तरीय अधिकारी	विशेष आमंत्री सदस्य

<u>जिला स्तरीय टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व–</u>

(1) सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के स्वामित्व/प्रबंधाधीन सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे के संबंध में संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आगामी दो माह में अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण संकलित करना सुनिश्चित किया जायेगा। राजस्व विभाग के प्रबंधाधीन शासकीय/ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों का चिन्हींकरण तथा उनके हटाये जाने के संबंध में तहसील स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(2) जिला स्तरीय टास्क फोर्स का यह दायित्व होगा कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, विभिन्न शासकीय विभागों, अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त शिकायतों आदि का विश्लेषण कर राजकीय भूमियों, निजी भूमियों, विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्टों, समितियों, प्राधिकरण, परिषद आदि की भूमियों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा करने वाले पेशेवर अतिक्रमणकारियों/कब्जेदारों, दबंगों, गिरोहबंद असामाजिक प्रकृति के व्यक्तियों को भू–माफिया के रूप में चिन्हित कर सूचीबद्ध करें और उनके विरूद्ध दाखिल तथा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक मामलों में त्वरित विवेचना कराते हुए आपराधिक वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायें। इस सूची में इस प्रकार के नाम सम्मिलित करें जिनकी सामान्य ख्याति अवैध कब्जे करने की है और जिन पर कार्यवाही का सकारात्मक प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा।

(3) जिला स्तरीय टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करेगी कि शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर की जाए एवं कृत कार्यवाही का विवरण बेवपोर्टल पर अंकित कर दिया जाये।

(4) तहसील स्तर पर गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के संबंध में कब्जा हटाने के संबंध में कृत कार्यवाही की तहसीलवार समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाए।

(5) समीक्षा में जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका है उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर सम्यक निर्णय लेकर बिन्दुवार आवश्यक निर्देश तहसील स्तरीय टास्क फोर्स को प्रसारित करेगी।

(6) संवेदनशील एवं जटिल प्रकरणों जिनका निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है एवं जिन्हें जिला स्तरीय टास्क फोर्स आवश्यक समझे कि उन्हें उच्च स्तर पर संज्ञान में लाया जाना अपरिहार्य है, के संबंध में समुचित संस्तुति मण्डल स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी।

(7) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा–67 तथा सार्वजनिक भूगृहादि (अवैध अध्यासी की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दाखिल वादों के निस्तारण की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

(8) टास्क फोर्स द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरांत बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाय एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।

(9) जिन प्रकरणों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह उपयुक्त समझा जाए कि दबंग एवं भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा उक्त वर्णित भूमियों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा किया गया है तो भा0द0सं0 एवं अन्य सुसंगति अधिनियमों में अपराधिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ–साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) एवं उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (यथासंशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

(10) शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में दीवानी न्यायालयों, मा0 उच्च न्यायालयों, मा0 उच्चतम न्यायालयों से अवैध कब्जे के संबंध में प्राप्त आदेशों, स्थगनादेशों के मामलो में संबंधित विभाग द्वारा वादों के निस्तारण हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराना।

(घ) **तहसील स्तरीय टास्क फोर्स–**

उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
उप वनाधिकारी	सदस्य
तहसील के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष	सदस्य
जिला पंचायत के तहसील स्तरीय अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य संयोजक
अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के तहसील स्तरीय अधिकारी	विशेष आमंत्री सदस्य

तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व–

(1) विभागों द्वारा चिन्हित अतिक्रमण / अवैध कब्जों एवं प्राप्त शिकायतों (जन सामान्य एवं उच्च स्तर से प्राप्त) का विवरण नवीन वेबपोर्टल के तैयार होने तक

jansunwai.up.nic.in की वेब पोर्टल पर दर्ज किया जाए ।

(2) राजस्व विभाग के अधीन राज्य सरकार/ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों पर हुए अवैध कब्जे के चिन्हीकरण/अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

(3) तहसील स्तरीय टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करे कि शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर करा ली जाये एवं कृत कार्यवाही का विवरण बेवपोर्टल पर अंकित कर दिया जाये।

(4) प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर टास्क फोर्स द्वारा सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

(5) तहसील स्तर पर गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के संबंध में कब्जा हटाने की कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक माह करेगी एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए।

(6) समीक्षा में जिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका है उसके संबंध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर सम्यक निर्णय लेकर बेदखली आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(7) टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरांत बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाए एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।

(8) हटाये जाने वाले अतिक्रमण/अवैध कब्जों की स्थानीय संवेदनशीलता का आंकलन समिति द्वारा की जाए एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल (यथावश्यक महिला पुलिस सहित), की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(9) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-67 तथा सार्वजनिक भूगृहादि (अवैध अध्यासी की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दाखिल वादों के निस्तारण की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

8-उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का अनुपालन भी किया जाए :-

(1) चिन्हित अतिक्रमण /अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में विधिक प्रकिया का निर्धारण यथास्थिति उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित), सार्वजनिक भूगृहादि (अवैध अध्यासी की बेदखली) अधिनियम, 1971, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973, उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916, उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथासंशोधित) एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अन्य अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत किया जाए।

(2) जिन प्रकरणों में मा0 न्यायालयों के स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण अतिक्रमण/अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका है उनके संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर

मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को जिला शासकीय अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं एडवोकेट ऑन रिकार्ड के माध्यम से मा0 न्यायालयों के संज्ञान में लाकर स्थगनादेश अपास्त कराये जाने की प्रभावी कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा सुनिश्चित करायी जाए एवं इसका प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण किया जाए।

(3) हटाये जाने वाले अतिक्रमण/अवैध कब्जों की स्थानीय संवेदनशीलता का आंकलन सम्बन्धित टास्क फोर्स द्वारा किया जाए एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल (यथावश्यक महिला पुलिस सहित), की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(4) अतिक्रमण/ अवैध कब्जों के कारित होने में उदासीनता बरतने वाले एवं संलिप्त कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

(5) सार्वजनिक भूमि/ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें तहसील दिवस तथा विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होती रहती हैं, जिन्हें वर्तमान में आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर दर्ज कर निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा। एन्टी भू—माफिया टास्क फोर्स के विचारार्थ शिकायतें आम जनता द्वारा इसी पोर्टल पर ऑनलाइन भी दर्ज करायी जा सकती हैं, जिनके निस्तारण का अनुश्रवण भी जिला/तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा। अवैध कब्जों/अतिक्रमण के संबंध में तथा भू—माफिया का चिन्हींकरण कर उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूपों पर किया जायेगा तथा विभिन्न जनपदों से वांछित सूचनायें ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था राजस्व परिषद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी एवं समय—समय पर राजस्व विभाग को अपेक्षानुसार उपलब्ध करायी जाए।

(6) विभिन्न विभागों तथा उनके अधिकारिता में आने वाले सरकारी/अर्धसरकारी निकाय/प्राधिकरण/निगम/उपक्रम आदि की प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि पर भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए उनसे संबंधित मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे टास्क फोर्स द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा शासन स्तर पर भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की समीक्षा की जाए एवं समीक्षा करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(7) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उक्त सम्पूर्ण अभियान को शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार संचालित करने, वेबपोर्टल विकसित करने, जनपद/मण्डल स्तर से सूचनाओं को प्राप्त कर शासन/राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुत करने तथा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के लिए नोडल आफिसर होगें। राजस्व परिषद द्वारा ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों से संबंधित अवैध कब्जों के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार अभियान संचालित कराने हेतु पृथक से संदेश जारी किये जाएगे।

9— विभिन्न स्तरों पर सूचनाओ के संकलन हेतु पृथक से रजिस्टर तैयार किये जायेगे। संकलित की गयी सूचनाओं के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप पृथक से शासन द्वारा आपको भेजे जायेगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन : संख्या—402(1)/एक—2—2017—1(सामान्य)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें:—

1— समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
2— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक

विभिन्न विभागों द्वारा अतिक्रमण/अवैध कब्जों को हटवाने हेतु जारी अधिनियम/नियम/शासनादेशों का विवरण

1–राजस्व विभाग–

ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों/सार्वजनिक उपयोग की परिसम्पत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाये जाने की व्यवस्था उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 एवं उ0प्र0 राजस्व नियमावली 2016 में वर्णित है। नियम–67 में सम्पत्ति के अवैध अध्यासन और दुर्विनियोजन के लिए किये गये दण्डों के प्राविधान को और कठोर करते हुए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है और साथ ही अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–447 के अंतर्गत अभियोजन दर्ज करने के प्राविधान को भी खुला रखा गया है। उक्त प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के विस्तृत दिशा निर्देश राजस्व परिषद द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को प्रसारित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। शासनादेश संख्या–3135/1–2– 2001–रा–2 दिनांक 08.10.2001 द्वारा सिविल अपील संख्या–4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या–703/एक–2–2014–रा–2 दिनांक 09.06.2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सिविल अपील संख्या–1132 (सी) 19869/2011 विशेष अनुज्ञा याचिका (सी) 16869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 अपील संख्या (सी) 4787/2011 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या–6472 (एमबी)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक 28.05.2014 में दिये गये देशा निर्देशों के क्रम में ग्रामसभाओं की भूमि यथा तालाब/पोखर, चारागाह व कब्रिस्तान त्यादि पर अवैध कब्जों/अतिक्रमण हटाने के संबंध में अनुपालन हेतु दिशा निर्देश सारित किये गये हैं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–252 रिट/1–2–2012 –रा–2 लखनऊ दिनांक 21 तम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के समस्त लाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करते हुए अपेक्षा की गयी कि मेति द्वारा ग्राम सभाओं की भूमि पर तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की ीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण की सूचना जनक्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रचार–प्रसार

करके ग्राम सभाओं के सदस्यों से अवैध कब्जा/अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेगी।

2— आवास एवं शहरी नियोजन—

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 के शासनादेशों क्रमशः 229/8—3—2005 दि0 13 मई, 2005 एवं 2368/8—3—2005 दि0 23 जून, 2005 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

3— वन विभाग—

भारतीय वन अधिनियम 1927, उ0प्र0 अधिनियम संख्या—1 सन 2001 की धारा—61, 61ब एवं 61स के अंतर्गत अतिक्रमण/ अवैध कब्जों को हटाये जाने के अधिकार एवं प्रक्रिया वर्णित है। इसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 व धारा 29 के अंतर्गत घोषित वन भूमि अर्थात आरक्षित वन अथवा संरक्षित भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटाने की शक्ति प्रभागींय वनाधिंकारी में निहित है।

4— सिंचाई विभाग—

सिंचाई अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—1417 बी/09—27—सि—2—181 बाढ़/09 दिनांक 16 मार्च, 2010 द्वारा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

5— नगर विकास विभाग—

नगर विकास अनुभाग—7 के शासनादेश संख्या—3079/नौ—7— 12—16 ज/2012 दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 एवं 15 मई, 2013 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग—7 के शासनादेश संख्या—748 /नौ—7—14—4 ई/12 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 एवं 257डब्ल्यू/नौ—7—16—4 ई/12 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

6— गृह विभाग —

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2007 द्वारा प्रदेश के माफिया गिरोह के सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हुए सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29. 09.2009 के क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में गृह विभाग के शासनादेशों क्रमशः दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 एवं 03 अप्रैल, 2010 द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

———